## महत्वपूर्ण एवं खास

### शंकालु पति ने पत्नि पर टंगिया से किया प्राणघातक वार, डॉयल 112 स्टाफ ने आहिता को पहुंचाया अस्पताल

#### आरोपी पर हत्या का प्रयास का केस दर्ज

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** तमनार राइनो को 14 सितंबर की रात करीब 10:00 बजे तमनार लालडीपा आमाघाट में मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट मिला जिस पर तमनार राइनो आमाघाट पहुंची जहां रहने वाले अनिरूद्ध धनवार उम्र 27 साल द्वारा अपनी पत्नि के गले के पीछे टांगी से मारकर संघातिक चोट पहुंचाया था। डॉयल 112 तमनार राइनो स्टाफ जब मौके पर पहुंची तो अनिरूद्ध धनवार शांतिभंग कर रहा था जिसे पुलिस अपने साथ थाना लेकर आयी तथा आहिता को राइनो स?टाफ द्वारा तमनार अस्पपताल में भर्ती कराया गया, जहां से आहिता को रायगढ़ रिफर किया गया है। तमनार पुलिस द्वारा आरोपी अनिरूद्ध धनवार पिता भगतराम धनवार के विरूद्ध धारा 151 जाफौ के तहत कार्यवाही कर इस्तगासा पेश किया गया है। घटना की रिपोर्ट आज दिनांक 15.09.19 को आहिता शांति धनवार उम्र 25 वर्ष के पिता पुसाउ धनवार पिता स्व0 समारू धनवार उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम टीपाखोल थाना कोतरारोड द्वारा थाना तमनार में दर्ज कराया गया है, रिपोर्ट पर आरोपी अनिरूद्ध धनवार के विरूद्ध अप.क्र. 176/19 धारा 307 भादंवि दर्ज किया गया है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि करीब 15 दिन पूर्व से अपनी बेटी शांति धनवार के घर छठ्ठी के कार्यक्रम में लालडीपा आमाघाट आया हुआ है। दिनांक 14.09.19 की रात अपने समधी भगत राम के साथ खेत डोली को देखने गया था। जहां से करीब 10 बजे वापस आया तो देखा इसका दामाद अनिरूद्ध धनवार किसी बात को लेकर शांति बाई धनवार से झगडा झंझट किया और फिर टांगी से शांति धनवार के गले के पीछा मार दिया जिससे शांति बेहोश हो गयी। अनिरूद्ध शराबी तथा शंकालु किस्म का व्यक्ति है ,घटना की सूचना डॉयल 112 को दिये तो पुलिस आयी और घायल शांति को अस्पताल लेकर गई।

### 10 लिटर कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, बरमकेला पुलिस की कार्यवाही

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** बरमकेला पुलिस द्वारा ग्राम डभरा के वेदराम सिदार को पैदल भकुर्रा से जंगल के रास्ते मे कोडापारा होते अवैघ रूप से कच्ची महुआ शराब लेकर घर लेकर आने की मुखबिर सूचना पर डभरा कोडापारा के रंगमंच के पास नाकाबंदी कर वेदराम सिदार पिता स्व. रघुनाथ सिदार उम्र 55 वर्ष निवासी सिदार पारा डभरा को पकड़े। आरोपी वेदराम सिदार के कब्जे से प्लास्टिक जरीकेन दस लीटर क्षमता वाली मे भरा 10 लीटर कच्ची महुआ शराब हाथ भट्ठी का बना कीमती 1500 रू. को बरामद किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना बरमकेला में धारा 34(1) क (2), 59 (क) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

### शासकीय उचित मूल्य की दूकान से खाद्य सामग्री चोरी

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** थाना कोतरारोड़ अन्तर्गत ग्राम नावापारा के सरपंच नंद कुमार बरेठ द्वारा आज दिनांक 15.09.19 को थाना कोतरारोड़ में दिनांक 12.09.2019 के दरम्यानी रात्रि अज्ञात व्यक्ति द्वारा शासकीय उचित मुल्य की दुकान का ताला तोड़कर 10 क्विटंल चावल एवं 09 क्विटंल शक्कर जिसका शासकीय दर से किमत 16,300 रूपये है उक्त सामान को चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 262/19 धारा 457,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

# महिला दहेज प्रताड़ना पर सामाजिक न्याय संघ की पहल

**» प्रकरण पहुँचा पुलिस के पास जल्द एफ0आई0आर0 होने की संभावना » दैनिक न्यायसाक्षी से संदीप नानकानी की रिपोर्ट**

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** शासन से मान्यता प्राप्त राज्य की प्रतिष्ठित संस्था के समक्ष महिला प्रताड़ना को प्रकरण आया, जिसमें उन्नति (बदला हुआ नाम) के द्वारा लिखित में आवेदन कर बताया गया कि वो लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही है। यह भी बताया कि, उसका विवाह 18 फरवरी 2018 को श्याम सुंदर निषाद पिता स्व. बैरागी निषाद से हुआ था जिस समय श्याम सुंदर द्वारा, जो मांग रखी गई थी, उसको पूरा किया गया था, यह सोचकर कि बिटिया को घर अच्छे से बसेगा। आपको विदित हो कि, मांग एक लाख बहत्तर हज़ार रुपये का घरेलू सामान,उपहार एवं चालीस हजार नगद दिया गया।

विवाह के 5 दिन के बाद श्याम सुंदर, उनके मामा गजानंद निषाद, मामी देवंती निषाद एवं सांस के पिता वीरचंद, ननद देवकी, सांस सावित्री द्वारा बीस हज़ार रुपये उन्नति से मोटरसाइकिल के लिए मांगे, जिसको उन्नति के पिता द्वारा दिया गया जो कि 20000 रू था, इसके कुछ दिन बाद पुनः यह कहा कि 20000 में कोई मोटरसायकिल आती है क्या? और 20000 मांगे गए , जिसे उन्नति के पिता द्वारा यह सोच के दिया गया कि घर द्वार बसा रहे।

लिखित आवेदन में बताया गया उन्नति के पति श्याम सुंदर निषाद अपने मामा मामी के साथ रहता था और उसके और उसकी सगी मामी के साथ अवैध संबंध है। यह भी बताया गया कि, उसके मामा हाथ से सक्षम नही है और श्याम सुंदर और उसकी मामी के मध्य अवैध सम्बंध हैं। उन्नति को लगातार कहा जाता रहा है कि तू काली है, दुबली पतली है,और तुझे केवल घर के कामों के लिए लाया गया है और उन्नति की तुलना मामी से की जाती रही, क्योंकि वो गोरी है।

कुछ दिन बाद उन्नति से 70000 अपने पिता से मांगने कहा गया। तब उसने कहा मेरे पिता कहॉं से इतने पैसे लाएंगे और उन्नति ने माना कर दिया, तब उन्नति के साथ बहुत प्रताड़णा शुरू कर दी गई। अपने आवेदन में महिला ने लिखित में बताया कि, पति श्याम सुंदर, उनके मामा गजानंद निषाद, मामी देवयंति निषाद, सास सावित्री, सॉस के पिता वीरचंद और ननद देवकी द्वारा मार पीट किया जाता रहा और खाना पीना बंद कर दिया गया। बताया कि, उसको लगातार प्रताड़ित किया गया, जान से मारने की धमकी देते रहे, हाथ डंडो से पीटते रहे, पर उन्नति ने किसी से कुछ नहीं कहा यह सोच कर कि परिवार बिखर जाएगा।

लेकिन दिनॉंक 10.10.2018 को सबने मिल कर उन्नति को इस कदर मारा कि वो मरणासन अवस्था में आ गई, तब उसने किसी तरह अपने पिता को बुलाया और वो उन्नति को लेने गए। जब उसके पिता उन्नति को ले जा रहे थे, तब मामी सास ने कहा कि जो रकम कही गई है, वो लेकर ही आना। यह सब उन्नति द्वारा अपने मायके में बाद में बताया गया। उन्नति के इलाज के बाद उनके पिता गजबदन सिदार को लेकर उन्नति के ससुराल गए , तब उन्होंने कहा कि उन्नति को नही रखेंगे, कई बार निवेदन करने पर भी उन्नति के ससुराल वाले नही माने और श्याम सुंदर निषाद ने उन्नति के पिता से कहा कि मैं तेरी बेटी को छोड़ रहा हुं ,जो करना है करलो कहा। यह शिकायत उन्नति द्वारा सामाजिक न्याय संघ के समक्ष न्यायोचित कार्यवाही की आशा के साथ प्रस्तुत की गई। जिसपर सामाजिक न्याय संघ ने इसे श्रीमान् पुलिस अधीक्षक के साथ थाना प्रभारी बरमकेला, थाना प्रभारी पुसौर को भेजा। जिसपर संज्ञान लिया जाकर महिला का बयान हो चुका है, शेष कार्यवाही लंबित है।

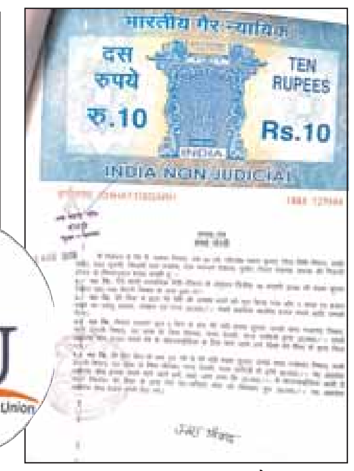


# लायनेस क्लब ऑफ रायगढ़ सिटी ने मनाया हिन्दी-दिवस

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** सर्वमान्य सी.बी.वर्मा सीनियर चार्टर मेंम्बर के साथ मिलकर लायनेस क्लब ऑफ रायगढ़ सिटी ने 14/09/19 को कैरियर स्कूल स्टेडियम के पीछे रायगढ़ के स्कूल में बच्चो के साथ हिंदी दिवस मनाया। लायनेस क्लब के सदस्यों ने बच्चो को हिंदी भाषा का महत्व समझाया, बताया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के साथ-साथ हमारी मातृ भाषा भी है एवं जिस तरह हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी तरह हमें अपनी मातृ भाषा भी सम्मान करना चाहिए। बताया कि, यही भाषा पूरे विश्व में हमें दूसरो से अलग व विशिष्ट बनाती है। कैरियर स्कूल के बच्चो ने भी हिंदी में निबंध,भाषण,कविता गान के साथ में पूरे उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम को मनोरंजक बनाया। लायनेस क्लब ऑफ रायगढ़ सिटी द्वारा सभी विजेताओं को पुरस्कृत वितरण किया गया व बाकी बच्चो को भी पेन दिया। कार्यक्रम के पश्चात सभी शिक्षको व बच्चो हेतु स्वल्पाहार का आयोजन भी किया गया। स्कूल की वाईस प्रिंसिपल श्रीमती रजनी राखुंडे एवम् समस्त शिक्षकगण के साथ लायनेस सी.बी.वर्मा, लायनेस प्रमिला चोपड़ा, लायनेस अध्यक्षा किरण उरांव, लायनेस अर्चना मिश्रा, लायनेस प्रभा चौबे ,लायनेस अलका जैन, लायनेस सरिता विश्वकर्मा आदि की उपस्थिति सराहनीय रही। कार्यक्रम की सबने भूरी-भूरी प्रसंशा की कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में भी जागरूकता आती है, और बच्चों में उत्साह बना रहता है।

### मोटर सायकल पर गांजा लेकर रहे युवक को बरमकेला पुलिस ने पकड़ा

#### आरोपी के पास से 5 किलो गांजा व परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक डी.के. मारकण्डे के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा एक व्यक्ति को मोटर सायकल पर ओडिसा से बरमकेला की ओर गांजा लेकर आते हुये पकडे । जानकारी के अनुसार थाना बरमकेला में पदस्थ सउनि विजय गोपाल को मुखबिर से सूचना मिला था कि एक व्यक्ति मोटर सायकल से अवैध गांजा परिवहन करते उडीसा से बरमकेला की ओर आ रहा है, सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ झनकपुर चौक पर नाकाबंदी कर मो.सा. एचएफ डिलक्स हिरो काला जामूनी रंग क्र. सीजी11 एपी 3751 में सुरेन्द्र कुमार साहू पिता जवाहर लाल साहू उम्र 32 वर्ष सा. खेमडा थाना डभरा जि. जांजगीर चांपा को रूकवाये, सुरेन्द्र कुमार साहू के लटकाये हुये काला रंग के बेग अंदर 1-1 किलो गांजा पैकेट का कुल 05 पैकेट मिला जिसे जप्त किया गया है, जप्त 05 किलोग्राम गांजा की कीमत करीब 25,000 रूपये हैं। आरोपी द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी करते पाये जाने पर उसका वाहन व मादक पदार्थ विधिवत जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना बरमकेला में अप.क्र. 170/19 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही की गई है।

### चोरी की एल्युमिनियम केबल के साथ आरोपी गिरफ्तार

**न्याय साक्षी/रायगढ़।** पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी व सीएसपी रायगढ़ के मार्गदर्शन पर जूटमिल पुलिस को चोरी की वारदातों में शत-प्रतिशत सफलता मिलने का सिलसिला जारी है इसी क्रम में जुटमिल पुलिस द्वारा आज बीते रात ग्राम बनसिया पावर ग्रिड से चोरी हुई संपूर्ण मशरूका के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 15/09/19 को पुलिस चौकी जुटमिल में ग्राम बनसिया स्थित एबीबी इंडिया लिमिटेड पावरग्रीड के साईड एडमिन मोहम्मद आलम द्वारा कंपनी के केबल वायर एल्युमिनियम 10 नग क्रमशः 3.5×185 वर्गएमएम. (8एम.) 04 नग, 3.5×240 वर्गएमएम.(8एम.) 04 नग एवं 3.5×300 वर्गएमएम.(8एम.) एल्युमिनियम केबल 02 नग कुल कीमत 20,000 रू. जो कंपनी के खुले मैदान मे रखी हुई थी जिसे दिनांक 14-15/09/2019 के रात्रि कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया, रिपोर्ट पर चौकी जुटमिल (थाना कोतवाली) में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 747/19 धारा 379 आईपीसी दर्ज कर विवेचना में लिया गया। टी.आई. जुटमिल अंजना केरकेट्टा द्वारा सउनि उमाशंकर विश्वाल एवं हमराह आरक्षक शशिभूषण उरांव, कुलदीप रजक, अनूप साव, सुरित राम मिरी के साथ मौके पर जाकर चोरी की तस्दीक की और स्टाफ को माल मुल्जिम की पतासाजी के लिये मुखबिरों से संपर्क कर सूचना जुटाने के लिए निर्देशित किया गया। शीघ्र टी.आई. केरकेट्टा के मुखबिर द्वारा सूचना दिया कि बनसिया का छेदीराम जाटवर पिता घुरूवा उम्र 30 वर्ष ग्राम बनसिया द्वारा उपरमुडॉ तालाब के पास एल्युमिनियम केबल छिपा कर रखा हुआ है जिस पर सउनि विश्वाल के हमराह पुलिस टीम संदेही छेदीराम को पकड़ कर पूछताछ किये तो छेदीराम ने ग्राम बनसिया के एक युवक के साथ एल्युमिनियम केबल चोरी करना बताते हुये मशरूका तालाब में छिपा कर रखना बताया, आरोपी के मेमोरेण्डरम पर चोरी के 10 नग एल्युमिनियम केबल कीमती 20,000 रूपये बरामद किया गया है। आरोपी छेदीराम को उपरोक्त अपराध में गिफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया एक अन्य फरार आरोपी की पतासाजी की जा रही है।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480